रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1473] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 29, 2007/अग्रहायण 8, 1929
No. 1473] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 29, 2007/AGRAHAYANA 8, 1929

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2007

का.आ. 2005(अ).—जीव जन्तु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 5(क) के उप-खंड (1) के साथ पठित उप-खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड का निम्नलिखित व्यक्तियों को इसके सदस्यों के रूप में सम्मिलित करके इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से पुनर्गठन करती है, नामशः :—

1.	वन महानिदेशक, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली	सदस्य (पदेन) धारा 5(1)(क) के अधीन
2.	पशुपालन आयुक्त, कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली	सदस्य (पदेन) धारा 5(1)(ख) के अधीन
3.	निदेशक, भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून	सदस्य धारा 5(1)(ख ख) के अधीन
4.	मेजर जनरल (सेवानिवृत्त), आर. एम. खरब, ए वी एस एम, 23 मुनिरका विहार, नई दिल्ली-67	सदस्य धारा 5(1)(ख ग) के अधीन
5.	श्री हिरंमय कारलेकर, पत्रकार, ई-54, सुजान सिंह पार्क, नई दिल्ली	सदस्य धारा 5(1)(ख ग) के अधीन
6.	सुश्री नोरमा अलवेरस, एडवोकेट, जी-8, संत ब्रिटो अपार्टमेंट्स, फेरा अल्टा, मापूसा-403 507, गोवा	सदस्य धारा 5(1)(ख ग) के अधीन
7.	डॉ. वी. एन. अप्पाजी राव, 1/एल, मंदिर अपार्टमेंट्स, न्यू नंबर 53, नार्थ बेग रोड, टी. नगर, चेन्नई-600017	सदस्य धारा 5(1)(ग) के अधीन
8.	डॉ. मोहम्मद सलीम असलम, 162/4ए, तिरुवालुवर सलई, तिरुवामियूर, चेन्नई-600041	सदस्य धारा 5(1)(घ) के अधीन
9.	डॉ. ब्रह्मचारी, ओमस्वरुपार्या-आयुर्वेद, गुरुकुल गऊशाला विकाडला, पानीपत, हरियाणा	सदस्य धारा 5(1)(घ) के अधीन
10.	नगर निगम, शिमला, हिमाचल प्रदेश का एक प्रतिनिधि	सदस्य धारा 5(1)(ङ) के अधीन

11.	दिल्ली नगर निगम का एक प्रतिनिधि, नई दिल्ली	सदस्य धारा 5(1)(ड़) के अधीन
12.	श्री गुलजारी लाल सोनी, राजस्तान पिंजरापोल फतेहपुर के प्रतिनिधि, राजस्थान	सदस्य धारा 5(1)(च) के अधीन
13.	श्री खाडीलाल कामदार, श्री मंडल महाजन पिंजरापोल के प्रतिनिधि, गुजरात	सदस्य धारा 5(1)(च) के अधीन
14.	श्रीमती आमला अकेनी, ब्लू क्रॉस ऑफ हैदराबाद, आंध्र प्रदेश का एक प्रतिनिधि	सदस्य धारा 5(1)(च) के अधीन
15.	लेफ्टिनेंट कर्नल (सेवानिवृत्त) डॉ. जे. सी. खन्ना, सोसायटी फॉर प्रिवेन्शन ऑफ क्रूएल्टी टू एनीमल्स, मुम्बई, महाराष्ट्र का एक प्रतिनिधि, डॉ. एस. एस. राव रोड, परेल, मुम्बई-400012, महाराष्ट्र	सदस्य धारा 5(1)(छ) के अधीन
16.	डॉ. अमरेश चटर्जी, असम राज्य के प्रतिनिधि, एस पी सी ए गुवाहाटी, नं. 4/2-ए, लियोनार्ड रोड हेस्टिंग्स, कोलकाता-700022, पश्चिम बंगाल	सदस्य धारा 5(1)(छ) के अधीन
17.	श्री शैलजा कांत मिश्रा, आई पी एस, अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश अंतर्राज्यीय सीमा पुलिस बल, 1, वनीत खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	सदस्य धारा 5(1)(ज) के अधीन
18.	श्री महेन्द्र कुमार बम, 47, कवि कालिदास पथ, बाद नगर-456771 जिला-उज्जैन, मध्य प्रदेश	सदस्य धारा 5(1)(ज) के अधीन
19.	श्री राजीव गुप्ता, प्रिंसिपल रेजिडेंट कमिश्नर, उत्तराखंड सरकार, 104-इन्द्र प्रकाश बिल्डिंग, 21-बाराखंभा रोड, नई दिल्ली-110001	सदस्य धारा 5(1)(ज) के अधीन

उपरोक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (3) के अनुसार केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) डॉ. आर. एम. खरब, ए वी एस एम, सदस्य, को भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में तथा डॉ. बी. एन. अप्पाजी राव, सदस्य को उपाध्यक्ष के रूप में मनोनीत करती है ।

[फा. सं. 11/11/2007-ए डब्ल्यू डी]

जी. बालाचन्द्रन, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड के पुर्नगठन संबंधी इससे पूर्व अधिसूचना संख्या का.आ. 918(अ), दिनांक 12 अगस्त, 2004, का. आ. 24(अ), दिनांक 5 जनवरी, 2005 तथा का.आ. 667(अ), दिनांक 9 मई, 2006 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th November, 2007

S.O. 2005(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) read with Sub-section (1) of Section 5A of Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), the Central Government hereby reconstitutes the Animal Welfare Board of India consisting of the following persons as its Members, with effect from the date of publication of this notification, namely :—

1.	Director General of Forests, Ministry of Environment and Forests, New Delhi	Member (ex-officio) under Section 5(1)(a)
2.	The Animal Husbandry Commissioner, Ministry of Agriculture, New Delhi	Member (ex-officio) under Section 5(1)(b)
3.	The Director, Wildlife Institue of India, Dehradun	Member under Section 5(1)(bb)
4.	Maj. Gen. (Retd.) Dr. R. M. Kharb, AVSM, 23, Munirka Vihar, New Delhi-67	Member under Section 5(1)(bc)
5.	Shri Hiranmay Karlekar, Journalist, E-54, Sujan Singh Park, New Delhi	Member under Section 5(1)(bc)

IndiaCode

6.	Ms. Norma Alvares, Advocate, G-8, St. Britto's Apartments, Feira Alta, Mapusa-403 507 (Goa)	Member under Section 5(1)(bc)
7.	Dr. V. N. Appaji Rao, 1/L, Mandira Apartments, New No. 53, North Boag Road, T. Nagar, Chennai-600 017	Member under Section 5(1)(c)
8.	Dr. Md. Saleem Aslam, 162/4A, Thiruvalluvar Salai, Thiruvanmiyur, Chennai-600 041	Member under Section 5(1)(d)
9.	Dr. Brahamchari, Omswaroopparya—Ayurvaid, Gurukul Gaushala Bikadala, Panipat, Haryana	Member under Section 5(1)(d)
10.	The Representative of Municipal Corporation of Shimla, Himachal Pradesh	Member under Section 5(1)(e)
11.	The Representative of Municipal Corporation of Delhi, New Delhi	Member under Section 5(1)(e)
12.	Shri Guljari Lal Soni, Representative of Rajasthan, Pinjrapole Fatehpur, Rajasthan	Member under Section 5(1)(f)
13.	Shri Vadilal Kamdar, Representative of Shree Mandal Mahajan Pinjrapole, Gujarat	Member under Section 5(1)(f)
14.	Smt. Amala Akkineni, Representative of Blue Cross of Hyderabad, Andhra Pradesh	Member under Section 5(1)(f)
15.	Lt. Col (Retd.) Dr. J. C. Khanna, Representative of SPCA, Bombay, Dr. S. S. Rao Road, Parel, Mumbai-400 012, Maharashtra	Member under Section 5(1)(g)
16.	Dr. Amaresh Chatterjee, Representative of Assam State, SPCA Guwahati, No. 4/2-A, Leonard Road, Hastings, Kolkata-700 022, West Bengal	Member under Section 5(1)(g)
17.	Shri Shailaja Kant Misra, IPS, Additional Director General of Police, UP Police Inter State Border Force, 1, Vineet Khand, Gomti Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh	Member under Section 5(1)(h)
18.	Shri Mahendra Kumar Bum, 47, Kavi Kalidas Path, Badnagar-456 771, District Ujjain, Madhya Pradesh	Member under Section 5(1)(h)
19.	Shri Rajeev Gupta, Principal Resident Commissioner, Government of Uttarakhand, 104, Indra Prakash Building, 21, Barakhamba Road, New Delhi-110001	Member under Section 5(1)(h)

The Central Government hereby nominates Maj. General (Retd.) Dr. R. M. Kharb, AVSM, Member to be the Chairman and Dr. V. N. Appaji Rao, Member to be the Vice Chairman of the Animal Welfare Board of India as per Sub-section (3) of Section 5 of the aforesaid Act.

[F. No. 11/11/2007-AWD]

G. BALACHANDHRAN, Jt. Secy.

Note: The principal notifications regarding reconstitution of the Animal Welfare Board of India were published in the Gazette of India *vide* number S.O. 918(E) dated the 12th August, 2004, S.O. 24(E) dated the 5th January, 2005 and S.O. 667(E) dated the 9th May, 2006.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.